बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संचिका संख्या-5/आ04-1011/2017- 308 पटना, दिनांक- 02/04/18

श्री राजेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, अरवल के विरूद्व स्थल लेखा सहित पूर्ण प्रभार नहीं सौपा जाना, कुल ₹45,19,575.29 (पैंतालीस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ पचहत्तर रूपये उनतीस पैसे) की वित्तीय गबन का मामला विभाग के संज्ञान में आया। उक्त के आलोक में समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होते है तथा सरकारी सेवक के रूप में श्री प्रसाद का कृत्य सरकारी कर्त्तव्यों में लापरवाही बरतने, स्वेच्छाचारिता तथा कर्त्तव्यहीनता का द्योतक एवं बिहार वित्त नियमावली तथा बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता में वर्णित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। फलत: उनके विरूद्व आरोप प्रपत्र 'क' में आरोप गठित किया गया।

2. आरोप प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक-1170, दिनांक-27.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई। तदालोक में श्री प्रसाद के पत्रांक-शून्य दिनांक-27.02.2018 द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। समीक्षा के क्रम में श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री प्रसाद के विरूद्व अभिकथित आरोप के लिए यह निर्णय किया गया है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, अरवल के विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. आरोपित श्री प्रसाद आदेश प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक समय के भीतर, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे तथा विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

5. जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री राजेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, अरवल, जांच संचालन पदाधिकारी, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल को दी जाय।

Semishra 28/3/18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

Bibhiti ji/order

ज्ञापांक-5/आ04-1011/2017-308 पटना, दिनांक- 02/04/18

Email

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र की प्रति के साथ श्री राजेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, अरवल/जांच संचालन पदाधिकारी, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक-5/आ04-1011/2017-308 पटना, दिनांक- 02/04/18

Email

प्रतिलिपि:-सचिव के निजी सहायक/उप सचिव/अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 02 तथा आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख

Bibhuti ji/order